न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/38/2022	2022/473	28.10.2022	29.11.2022

उनवान

1. जवाहरलाल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण यादव निवासी ग्राम जाजोर तहसील व जिला अलवर राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1. दयानन्द
2. मनीराम
3. रोहिताश पुत्रान स्व0 रामनारायण यादव
4. मनी
5. लीलावती पुत्रीयान स्व0 रामनारायण यादव
6. नरेन्द्र कुमार
7. नीरज कुमार पुत्रान देवसिंह यादव
8. सुदेश
9. सुषमा पुत्री देवसिंह यादव जाति यादव निवासीयान ग्राम जाजोर तहसील व जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार बहादुरपुर का निर्णय दिनांक 01.11.2001 नामान्तकरण संख्या 160 वाके ग्राम जाजोर तहसील व जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री दलेर सिंह —वकील अपीलान्ट

02. श्री हेमन्त कुमार —वकील रैस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार बहादुरपुर के आदेश दिनांक 01.11.2001 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 160 वाके ग्राम जाजोर तहसील व जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की माता श्रीमति सुरजा देवी का स्वर्गवास होने के कारण विरासत इंतकाल सं0 160 खोला गया। सुरजा देवी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.76 है0 का 1/2 हिस्सा ग्राम जाजोर तहसील अलवर में स्थित है। उक्त इंतकाल विरासत सभी वारिसान रोहिताश, मनीराम, दयानन्द, जौहरीलाल पुत्रान एवं रामनारायण पुत्र फूसाराम तथा पुत्रीया मनी व लीलावती के नाम तस्दीक किया गया। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.10.2022 को हुई। नकल लेने पर पता चला कि अपीलांट जवाहरलाल की जगह गलत तौर पर जौहरीलाल दर्ज कर दिया गया। इंतकाल की नकल प्राप्त कर अपील अंदर मियाद पेश की गयी। पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया गया है। माता के

जिला कलक्टर, अलवर

स्वर्गवास के बाद खोले गये विरासत इंतकाल में सहवन से अपीलांट का नाम जवाहरलाल के स्थान पर जौहरीलाल दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट का सही नाम जवाहरलाल है। अपीलांट के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात, आधार कार्ड आदि में सही नाम जवाहरलाल दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2001 इंतकाल सं0 160 वाके ग्राम जाजोर तहसील अलवर को निरस्त किया जाकर अपीलांट का नाम जौहरीलाल के स्थान पर दर्ज व तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.11.2001 के विरूद्ध दिनांक 28.10.2022 को पेश की गयी है। जो करीब 21 वर्ष बाद पेश की गयी है। उक्त अवधि को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायिक दिष्टांतों के मध्धेनजर नरमी का रूख अपनाते हुए कंडोन किया जाता है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलांट द्वारा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की फोटोप्रतियां पेश की गयी है। उक्त दस्तावेजात् में अपीलांट का नाम जवाहरलाल अंकित है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादुरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर एवं समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर अलवर